बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—::संकल्प::—

पटना—15, दिनांक.....

श्री रजनीश लाल (बि०प्र०से०), कोटि क्र०—153/24. तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध परिवहन विभाग के पत्रांक—3781 दिनांक—07.07.2021 द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0—23/21 दिनांक 22.06.2021 दर्ज किये जाने की सूचना देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इसके लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक—6900 दिनांक—09.07.2021 द्वारा श्री लाल को निलंबित किया गया।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—5775 दिनांक—14.09.2021 से प्राप्त आरोप—पत्र के आधार पर विभाग के स्तर पर आरोप गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक—12089 दिनांक—08.10.2021 द्वारा श्री लाल से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री लाल का बचाव का लिखित अभिकथन (दिनांक—23.11.2021) प्राप्त हुआ। श्री लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—16419 दिनांक—24.12.2021 द्वारा श्री लाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी. जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। कालांतर में प्रधान सचिव, सा0 प्र0 वि0 की अध्यक्षता में दिनांक—06.12.2023 को आहूत बि0प्र0से0 के निलंबित पदाधिकारी को निलंबन मुक्त करने संबंधी बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक—943 दिनांक—16.01.2024 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से इन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उक्त आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक—15389 दिनांक—19.08.2025 द्वारा श्री लाल को जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर बचाव के लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री लाल के पत्रांक—154 दिनांक—29.11.2025 द्वारा वांछित बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इनका कहना है कि:—

(i) जाँच आयुक्त द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन पूरी तरह एकतरफा है, जिसमें इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य/दस्तावेज/बचाव पक्ष के गवाहों के बयान को नजरअंदाज किया गया है। श्री लाल के अनुसार इनके पास दिखायी गयी कुल पाँच अचल संपत्तियों में से मात्र एक अचल संपत्ति इनकी है। शेष चार अचल संपत्तियों के अर्जन में इनके द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की गयी है। उक्त चार अचल संपत्तियाँ इनके पिता एवं इनके ससुर द्वारा क्रमशः अपनी पत्नी के नाम से तथा बेटी और नतनी के नाम से क्रय की गयी है।

(ii) इनके आवास के तलाशी के क्रम में इनके घर से नकद 40 लाख रूपये प्राप्त होने के संबंध में इनका कहना है कि एक फ्लैट की बिक्री हेतु श्री संजय कुमार शर्मा एवं अन्य के साथ इन्होंने एकरारनामा किया था और विभिन्न तिथियों को श्री शर्मा एवं इनके भाईयों द्वारा इन्हें अग्रिम के रूप में उक्त राशि उपलब्ध करायी गयी थी।

(iii) श्री लाल के अनुसार जाँच आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और इन्हें विभिन्न अचल संपतियों के बिक्रेताओं द्वारा जारी किये गये बैंक चेक NEFT/RTGS आधारित दस्तावेजी साक्ष्य को सत्यापित करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

4. श्री लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री लाल द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया कि:—

(i) आरोपी पदाधिकारी के आवासीय मकान से जब्त की गयी राशि के संबंध में इनके द्वारा प्रस्तुत सेल डीड एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, यह मात्र नोटराइज्ड था। आरोपी पदाधिकारी इतने Heavy Amount Cash में डील करने के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सके। इन्होंने कहा कि मनोबंधन पत्र दिनांक 15.06.2021 को बनवाया गया था तथा स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के कारण वे राशि बैंक में जमा नहीं कर सके, जबकि मनोबंधन पत्र में वर्णित दिनांक 12.04.2021 से 11.06.2021 की उसी कोरोना अवधि में वे बैंक में जमा नहीं कर सके परन्तु कैश प्राप्त कर सके, ये विरोधाभास है।

(ii) जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी पदाधिकारी द्वारा रू.41,90,000/– की बरामदगी अपने आवास से बतायी गयी है जबकि आवासीय मकान की तलाशी में रु० 50,91,800/– रूपये प्राप्त हुई थी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसे चैलेंज नहीं किया गया है। रू० 9,01,800/– इन्होंने अपने माँ के आवास से बरामदगी बतायी है।

(iii) सारे तथ्यों पर विचार करते हुए जांच पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अंकित गणनाओं के अनुसार आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने पद का फर्जी दुरूपयोग कर वैध आय से रू.78,97,589 /–अधिक संपत्ति होने को स्थापित किया गया है। श्री लाल के विरुद्ध आरोप–पत्र में विहित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

(iv) जाँच प्रतिवेदन की कंडिका (iii) (B) (ख) में यह भी अंकित किया गया है कि "संपत्ति की उद्घोषणा में 5 संपत्तियों का उल्लेख के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि प्राथमिकी की कंडिका–4 क्रमांक–1 पर अंकित संपत्ति की उद्घोषणा की गयी है। शेष वर्णित संपत्तियों का ब्योरा इनके द्वारा इसलिए अंकित नहीं किया गया है, क्योंकि इन संपत्तियों का क्रय इनके द्वारा नहीं किया गया है। अपने परिवार के सदस्यों के नाम से क्रय की गयी अचल संपत्ति का विवरण अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी में अंकित नहीं करना और सरकार को इससे अवगत नहीं कराना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 का उल्लंघन है।

5. श्री लाल के विरुद्ध विचाराधीन आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उस पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा " निन्दन (आरोप वर्ष 2020–21) तथा तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड विनिश्चित किया गया।

6. विभागीय पत्रांक–652 दिनांक–9.01.2026 द्वारा विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4896 दिनांक–09.03.2026 द्वारा अपना परामर्श उपलब्ध कराया गया जिसमें परामर्श दिया गया है कि :–

"माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–4443/2023 द्वारा दिनांक 13.01.2026 को पारित न्यायादेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के S.C.Prashar (Supra) वाद जिसके मुख्य अंश के संदर्भ में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर एक ही दंड आदेश में एक साथ लगाये गये लघु एवं वृहद् दंड में लघु दंड को निरस्त कर दिया गया है। आयोग का अभिमत है कि विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाय।"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा S.C.Prashar के मामले में पारित न्यायादेश का संदर्भित अंश निम्नवत है:–

"The disciplinary authority, therefore, in our opinion acted illegally without jurisdiction in imposing both minor and major penalties by the same order. Such a course of action could not have been taken in law"

8. वर्णित स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रजनीश लाल के विरूद्ध विनिश्चित दंड "निन्दन (आरोप वर्ष 2020–21) तथा तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" को संशोधित करते हुए "दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

9. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रजनीश लाल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–153/24, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विनिश्चित दंड "निन्दन (आरोप वर्ष 2020–21) तथा तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" को संशोधित करते हुए "दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–27/आरोप–01–51/2021 सा0प्र0 6145 **/पटना–15, दिनांक** 6·4·26

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/श्री रजनीश लाल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–153/24, अपर समाहर्त्ता, (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/4/26

सरकार के अपर सचिव।